तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो कि हुक्म की तामी में जारी हुए
17/9/25	~~पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा~~ बाबत दिनांक 25.09.2017 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जालखेड़ा की आराजी खसरा नं0 434, 436, 480 को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था आदि को आवंटित नही करने हेतु अप्रार्थी को पाबंद करने का निवेदन किया है। पत्रावली के अवलोकन के पश्चात यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं औचित्यहीन तथ्यों के आधार पर पेश किया। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेज भी पेश नही किया है। जिस कारण से प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष नही पाया जाता है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किये जाने के उपरांत 8 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे। उपखण्ड अधिकारी कोटा	